

24-01-2019

Address


वादी अधिवक्ता उपस्थित आया। व
वाद पत्र नोटप्रेस किया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया व वादी
अधिवक्ता को सुना गया। वादी
अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र नोटप्रेस
करने पर प्रकरण इसी स्टेज
पर खारिज किया जाता है पत्रावली
निर्णीत होकर गवर्नर से कम हो



रायगढ़ अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (ओ. गंगानगर)